तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-8-18	वकील अपीलान्ट उप०/ बहस एकतरफा सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 27-8-18 को पेश हो। अ	
27-8-18	पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] अन्य प्रशासनिक/[illegible] कार्यों [illegible] संग अभियान 2018 में व्यस्त हैं; पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 29/8/18 को पेश हो। [illegible]	
29-8-18	वकील अपीलान्ट उप०/ बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली के नतीजा/मुताबिक रजिस्टर नम्बर के कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। अ 29/8/18 उपजिलाधिकारी [illegible], जिला [illegible]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः—11/2018

निर्णय दिनांकः—29.08.2018

उनवान

गोविन्दा पुत्र रामदेवा जाति ढोली निवासी भांवती तहसील निवाई जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चैनपुरा तहसील निवाई
2. तहसीलदार सा0 निवाई

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 960 दिनांक 09.12.2015 जो ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया है।

उपस्थितः—श्री सतीश शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि भूमि ख.नं. 243/2 रकबा 10—09 बीघा वाके ग्राम भांवती में स्थित है। जिसमें संवत् 2069—72 की जमाबन्दी में खातेदार भूरा पुत्र रामदेवा हिस्सा 252/627 चन्दा गोविन्दा पि. रामदेवा हिस्सा 357/627 कोम ढोली दर्ज रिकॉर्ड था इसके पश्चात दिनांक 29.5.2015 को दोनों पक्षकारो के मध्य राजीनामा तकासमा होकर भूरा पुत्र रामदेवा कोम ढोली ख.नं. 243/3 रकबा 06—14 बीघा तथा चन्दा गोविन्दा पि. रामदेवा कोम ढोली के ख.नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा रहा। दिनांक 03.8.15 को चन्दा—गोविन्दा पि. रामदेवा ढोली ने अपने ख.नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा को गोपाल पुत्र रामचन्द्र को हिस्सा 4/5 व अशोक पुत्र सत्यनारायण को हिस्सा 1/5 बेचान कर दिया था अर्थात् चन्दा—गोविन्दा ने अपने ख.नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा का सम्पूर्ण का बेचान कर दिया था उसके पश्चात् दिनांक 09.12.2015 को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.8.15 का नामांतकरण सं. 960 ग्रा.पं. चैनपुरा द्वारा भरा गया जो कि सहवन से 03—15 बीघा की जगह पुरानी जमाबन्दी अनुसार 10—09 बीघा का ही भर दिया गया जो कि उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों से सहवन से हुई है इसकी जानकारी जब हल्का पटवारी व गिरदावर से की गई तो

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

बताया कि उक्त त्रुटि हमसे सहवन से हुई है इस वजह से उक्त नामांतकरण की अपील करना लाजमी हुआ है कि उक्त नामांतकरण को अपास्त किया जावे रकबा 10—09 बीघा के स्थान पर रकबा 03—15 बीघा का नामांतकरण खोला जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण सं. 960 दिनांक 09.12.15 जो ग्रा.पं. चैनपुरा द्वारा स्वीकार किया है को निरस्त किया जाकर रकबा 10—09 बीघा के स्थान पर रकबा 03—15 बीघा का नामांतकरण खोला जाने का आदेश तहसीलदार निवाई को प्रदान किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट्स बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील अपीलांट की बहस एकतरफा सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बताया कि भूमि ख.नं. 243/2 रकबा 10—09 बीघा वाके ग्राम भांवती में स्थित है। जिसमें संवत् 2069—72 की जमाबन्दी में खातेदार भूरा पुत्र रामदेवा हिस्सा 252/627 चन्दा गोविन्दा पि. रामदेवा हिस्सा 357/627 कोम ढोली दर्ज रिकॉर्ड था इसके पश्चात दिनांक 29.5.2015 को दोनों पक्षकारो के मध्य राजीनामा तकासमा होकर भूरा पुत्र रामदेवा कोम ढोली ख.नं. 243/3 रकबा 06—14 बीघा तथा चन्दा गोविन्दा पि. रामदेवा कोम ढोली के ख. नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा रहा। दिनांक 03.8.15 को चन्दा—गोविन्दा पि. रामदेवा ढोली ने अपने ख.नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा को गोपाल पुत्र रामचन्द्र को हिस्सा 4/5 व अशोक पुत्र सत्यनारायण को हिस्सा 1/5 बेचान कर दिया था अर्थात् चन्दा—गोविन्दा ने अपने ख.नं. 243/2 रकबा 03—15 बीघा का सम्पूर्ण का बेचान कर दिया था उसके पश्चात् दिनांक 09.12.2015 को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.8.15 का नामांतकरण सं. 960 ग्रा.पं. चैनपुरा द्वारा भरा गया जो कि सहवन से 03—15 बीघा की जगह पुरानी जमाबन्दी अनुसार 10—09 बीघा का ही भर दिया गया जो कि उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों से सहवन से हुई है इसकी जानकारी जब हल्का पटवारी व गिरदावर से की गई तो बताया कि उक्त त्रुटि हमसे सहवन से हुई है इस वजह से उक्त नामांतकरण की अपील करना लाजमी हुआ है कि उक्त नामांतकरण को अपास्त किया जावे रकबा 10—09 बीघा के स्थान पर रकबा 03—15 बीघा का नामांतकरण खोला जावे। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण सं. 960 दिनांक 09.12.15 जो ग्रा.पं. चैनपुरा द्वारा स्वीकार किया है को निरस्त किया जाकर रकबा 10—09 बीघा के स्थान पर रकबा 03—15 बीघा का नामांतकरण खोला जाने का आदेश तहसीलदार निवाई को प्रदान किया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील स्वीकार योग्य है। नामांतकरण सं. 960 दिनांक 09.12.15 ग्रा.पं. चैनपुरा को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करें। तथा तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

गलत नामांतकरण भरने वाले कार्मिक व जांचकर्ता कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तावित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/8/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner